

## प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधायिका में रखे जाने के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

अवधि 2011–12 से सम्बंधित इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के विभागों की अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से हैं जो अवधि 2011–12 के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा (2011–12) के समय दृष्टिगत हुए तथा जो विगत वर्षों में दृष्टिगत हुए थे लेकिन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे; वर्ष 2011–12 के बाद की अवधि से सम्बंधित प्रकरण भी, जहाँ आवश्यक है, सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों पर आधारित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार निष्पादित की गई है।